

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/सामान्य/कार्या.अध्यक्ष/2018-19 दिनांक: 01.11.2018


समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक(मुख्यालय)

विषय:- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यालयध्यक्ष के पद रिक्त होने पर आहरण वितरण के अधिकार प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक पद रिक्त होने पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम के खण्ड प्रथम के नियम- 03 के तहत इस कार्यालय द्वारा आहरण वितरण के अधिकार देने के प्रस्ताव जिलों पर स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के मार्फत से निर्धारित प्रपत्र में जांच उपरान्त उनकी अनुशंसा के साथ मांगे जाते रहे हैं । लेकिन हॉल ही में राज्य सरकार ने जिलों पर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय समकक्ष पद सृजित किया जाकर उन्हें कार्यालयाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई है । अतः अपने जिले में अधीनस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम 03 के तहत आहरण वितरण के अधिकार देने के प्रस्ताव पूर्व की भांति आपके कार्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित प्रपत्र में जांच उपरान्त अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ इस कार्यालय की मेल आई. डी. **caosecedu@gmail.com** पर ही भिजवाया जावे ।

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 03 के तहत आहरण एवं वितरण अधिकार भेजने के बावजूद किन्हीं कारणों (अपूर्ण दस्तावेज आदि) से इस कार्यालय द्वारा 07 दिवस के अन्दर जारी नहीं होता है तो इस कार्यालय को पुनः प्रस्ताव विभागीय मेल आई.डी. **caosecedu@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय जिले में स्थित समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अधीनस्थ कार्मिकों के इस माह के वेतन व दीपावली का बोनस आहरण वितरण के अधिकार (03) एवं बजट के अभाव में वंचित न रहे यह सुनिश्चित करें ।

www.rajteachers.com



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/सामान्य/कार्या.अध्यक्ष/2018-19

दिनांक: 01.11.2018

प्रतिलिपि :-

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
3. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम-3 के तहत आहरण एवं वितरण के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय के मार्फत से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रधान सम्पादक, शिविरा अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशन हेतु ।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर